न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/109

बीरमा पुत्र आमा जाति गुर्जर निवासी ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विजय सिंघल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 11.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, लाडपुरा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी तेजा, बीरम पुत्र आमा को ग्राम धर्मपुरा में खसरा नम्बर 210 रकबा 1.94 हैक्टर आराजी आवंटित हुई थी । अप्रार्थी को भूमि आवंटन एंव कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एंव द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करनी चाहिए थी । परन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की एवं भूमि सवंत् 2053, 2054 एवं 2056 में पडत रही है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने एवं आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं हाने से नियम 14 (4) के अन्तर्गत अप्रार्थी का आवंटन निरस्त कर उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करते हुए वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा विधिवत रूप से चले आने और विगत 35–36 वर्षों से अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर काश्त करने का उल्लेख करते हुए आवंटित आराजी पर अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जवाब प्रार्थना पत्र को नजर अन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है और वर्तमान में भी अपीलान्ट काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है । आवंटनशुदा भूमि ग्राम धर्मपुरा की है जो कोटा नगर निगम की सीमा में शामिल किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में उक्त आराजी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को कानूनन सुनवाई का कोई श्रवणाधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तेजा एवं अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 03.03.2016 को आदेश पारित किया गया है जबकि तेजा की करीब 7–8 वर्ष ही मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा तेजा के विधिक वारिसान को उक्त प्रकरण में कायममुकामान नहीं बनाया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है और अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.01.2017 को पटवारी हल्का बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 210 रकबा 1.94 हैक्टर भूमि मिसल संख्या 30/2003 के द्वारा आवंटित हुई थी । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने जवाब पेश किया था और यह कथन किया था कि 35–36 वर्षों से अपीलान्ट उक्त भूमि पर काश्त कर रहा है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब को नजर अन्दाज किया है । वर्तमान में भी अपीलान्ट का कब्जा इस आराजी पर है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी इस आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा बताया गया है । आराजी धर्मपुरा में है जो

नगर निगम सीमा में है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने तेजा और अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 03.03.2016 को आदेश पारित किया है जबकि तेजा की मृत्यु 7–8 वर्ष पूर्व हो चुकी है । तेजा के वारिसान को कायममुकामान नहीं बनाया गया है । 14 (4) का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था वो विधि – विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है यह तथ्य खसरा गिरदावरी से प्रमाणित है । आराजी पडत दर्ज है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए थे और जवाब भी पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के आधार पर आवंटन खारिज किया है । अपील अवधि –बाधित है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार लाडपुरा ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2003 को पेश कर यह कथन किया कि आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है । अतः आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे । प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2057–60 संलग्न की है जिसमें तेजा और बीरमा पुत्र आमा के खसरा नम्बर 210 की रकबा 1.94 हैक्टर भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2053 से 2054 में वादग्रस्त आराजी पडत है और संवत् 2055 में गेहूँ किया जाना अंकित है ।

11. पत्रावली पर तेजा और बीरमा की ओर से पेश किया गया जवाब प्रार्थना पत्र संलग्न है जिसमें उनके द्वारा आराजी पर काश्त किया जाना अंकित है । रिपोर्ट तहसील दिनांक 3.12.2009 पत्रावली पर संलग्न है जिसमें यह अंकित किया गया है कि तेजा और बीरमा की गैर खातेदारी में इस आराजी के अलावा खसरा नम्बर 593/211 रकबा 0.75 हैक्टर तेजा के नाम व खसरा नम्बर 597/210 की 1.00 हैक्टर बीरम के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है । उक्त आवंटित भूमि पर आवंटियों का कब्जा काश्त नहीं है । आवंटन के बाद संवत् 2037 से 2048 तक फसल दर्ज नहीं है । संवत् 2055 में फसल गेहूँ दर्ज है । पत्रावली पर एक रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 27.07.2009 भी संलग्न है जिसमें इसी अनुसार तथ्य अंकित किये गये हैं । खसरा गिरदावरी संवत् 2043–44, 2045–48, 2049–52, 2053–56, 2057–60, 2061–64, 2065–68 संलग्न की गई हैं ।

12. अपीलान्ट के द्वारा अपील में यह कथन किया गया है कि तेजा की मृत्यु सन् 2016 से 7–8 वर्ष पूर्व हो चुकी है उसके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है परन्तु अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को जवाबदेही का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तहसील की रिपोर्ट दिनांक 03.12.2009 संलग्न के जिसके अनुसार आवंटन के बाद संवत् 2037 से 2048 तक वादग्रस्त आराजी पर फसल दर्ज नहीं है । यदि बाद के वर्षों में फसल दर्ज है तो उसके आधार पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं मानी जा सकती । आवंटन की शर्तों की अनुपालना में आवंटन के तुरन्त बाद प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत और द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत पर काश्त किया जाना आवश्यक होता है । तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार आवंटियों ने आवंटन के बाद आवंटित आराजी पर संवत् 2037 से 2048 तक कोई फसल नहीं की है । इन तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2016 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 11.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा